**कार्यालय– जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चमोली।**

पत्रांक/अशा0(बे0)/ 7595-96 /मा0नवीनीकरण/2018–19/दिनांक 1. जनवरी 2019

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबन्धक,
**जेपी विद्या मन्दिर विष्णुपुरम,मारवाड़ी**
विकास खण्ड–**जोशीमठ (चमोली)**

विषय:– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम–17 के उपनियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का औपबन्धिक प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके विद्यालय की **पंजीकरण सं0–0115023( प्राथमिक स्तर) अंग्रेजी माध्यम** को दिनॉक 31 मार्च 2018 तक सर्शत औपबन्धिक मान्यता दी गयी थी,किन्तु आप द्वारा निर्धारित अवधि में मान्यता की निम्नांकित शर्तो की पूर्ति नहीं की गयी है। पुनः आपके विद्यालय को औपबन्धिक मान्यता आदेश अन्तिम बार माह **31मार्च,2020**तक इस अनुबन्ध के साथ नवीनीकृत किया जा रहा है कि नवीनीकृत आदेश में वर्णित समस्त कमियों का निराकरण एवं शासनादेश संख्या 623/XXIV/(1)/2013-R-467/2011 शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून दिनॉक 27 जून 2013 में वर्णित निर्धारित मान्यता शर्तों का आपके द्वारा अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1– अनुमोदित प्रशासनिक योजना संलग्न नहीं है।

2– सोसाईटी आतिथि नवीनीकृत सम्वन्धी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं।

आप विद्यालय मान्यता नवीनीकरण में इंगित कमियों का छः माह की अवधि के अन्तर्गत पूर्ण करें अन्यथा मान्यता नवीनीकृत तिथि से पूर्व भी मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी। जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय

**(दर्शन लाल टम्टा)**
जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा
चमोली।

पृष्ठांकन सं0/अशा0(बे0)/ /मान्यता नवीनीकरण/2018–19/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः **उप शिक्षा अधिकारी,वि0ख0जोशीमठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली,2011 के नियम–18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

**(दर्शन लाल टम्टा)**
जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा
चमोली।